

आदेश

वर्तमान वार्षिक स्थानान्तरण सत्र हेतु स्थानान्तरण अधिनियम के अधीन कुमौऊ मण्डल में राजस्व विभाग के वैयक्तिक सहायक संवर्ग में कार्यरत कार्मिकों के अनिवार्य स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दिनांक 29.05.2023 को आहूत बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में पात्रता सूची में अंकित कार्मिकों में से निम्न कार्मिकों का स्थानान्तरण उनके सम्मुख उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल में किया जाता है-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम तथा पदनाम	पदनाम	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती जनपद	सुगम/ दुर्गम	नवीन तैनाती
1	श्री विजेन्द्र सिंह	वैयक्तिक सहायक	उ०सि०न०	उधमसिंहनगर	सुगम से दुर्गम	बागेश्वर
2	श्री राहुल देव	वैयक्तिक सहायक	उ०सि०न०	बगेश्वर	दुर्गम से सुगम	अल्मोड़ा

2 उपरोक्त स्थानान्तरित कार्मिक आदेश जारी किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण कर लें। स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध उक्त स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(दीपक रावत),
आयुक्त।

कार्यालय आयुक्त कुमौऊ मण्डल, नैनीताल।

संख्या :- 1259/नौ- 51 / 2022-23 दिनांक:- 9-6-2023

प्रतिलिपि :-

- 1 आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 जिलाधिकारी बागेश्वर/ अल्मोड़ा/ उधमसिंहनगर को सूचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3 सम्बन्धित कर्मचारी।

(दीपक रावत),
आयुक्त।